दिनांक 18.12.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

➢ **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–3224/110/तीन/97–VI, दिनांक 08.12.2014** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

(कार्यवाही समस्त डूडा–उ0प्र0)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

➢ बी0एस0यू0पी0/आई0एच0डी0पी0 के अंतर्गत जनपद अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बस्ती, चन्दौली, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं वाराणसी की कतिपय परियोजनाओं की भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत राज्य द्वारा प्रस्तावित सरेण्डर स्वीकृति उपरान्त मूल्यवृद्धि की संशोधित डी0पी0आर0 अभी तक सूडा को प्राप्त नहीं हुयी है, जो अत्यन्त खेदजनक है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से **संशोधित डी0पी0आर0 सूडा को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।** सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियो/अध्यक्षों को अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

1. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपदों को अवगत कराया गया कि मिशन अवधि मार्च, 2015 में समाप्त हो रही है। अतः मार्च, 2015 तक सभी कार्य पूर्ण कराये जाने है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक अप्राप्त हैं, वे तत्काल उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि केन्द्र सरकार से ए0सी0ए0 की धनराशि हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। क्योंकि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजा जाना अनिवार्य है, अतः **एक सप्ताह मे संबंधित जनपद प्रत्येक दशा में सूडा को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।** सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया जाय। इस सम्बन्ध में **भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र पर 17 कॉलम की रिपोर्ट भी शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।**
2. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में माह की **05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें** अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
3. जनपदों द्वारा योजनान्तर्गत अभी भी आवासों के आवंटन की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में सूडा के संबंधित पटल को पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित जनपदों को आवास आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल गतिशीलता लाये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को योजनान्तर्गत माह तक का लक्ष्य भी निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त **सूडा के अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थल निरीक्षण करने के निर्देश भी दिये गये।** जनपद–**रामपुर, लखनऊ, रायबरेली, आगरा** में धीमी प्रगति के दृष्टिगत सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

अफोर्डेबिल हाउसिंग

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि आवास विकास तथा प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित कर योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 तत्काल तैयार कराकर सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही समस्त डूडा)

आसरा योजना

- योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित् करायें। इस सम्बन्ध में जिन जनपदों में सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा प्रस्ताव/डी0पी0आर0 नहीं तैयार किये हैं, वहां प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये गये।

- आसरा योजनान्तर्गत प्लिन्थ एरिया रेट पर **प्रति आवास लागत रू0 4.19 लाख शासन द्वारा संशोधित** हो जाने के कारण पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव जो कि स्वीकृत नहीं हुए हैं उनको नई दरों के आधार पर संशोधित कर प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित जनपदों एवं सी0एण्ड डी0एस0 को दिये गये।

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त शासनादेश की प्रति माह सितम्बर, 2014 में ही समस्त जनपदों को उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया गया था कि निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने की दशा में जनपद इन–सीटू की परियोजना कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर सूडा को प्रेषित करें ताकि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके, किन्तु अभी तक मात्र दो जनपदों–हाथरस एवं रामपुर से ही इन–सीटू आवासों हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, अन्य **किसी भी जनपद द्वारा इन–सीटू की परियोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी है जोकि अत्यन्त ही खेदजनक है।** जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में इन–सीटू की परियोजना उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित

करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

समीक्षा के दौरान जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में रिक्शा चालकों की सूची साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अब तक मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी है वे तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि उपलब्ध करायी गयी सूचियों में **अनुसूचित जाति तथा अल्प संख्यकों का भी वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें**, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि **जिन जनपदों की सूचना शून्य है वह सक्षम स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर पत्र प्रेषित करें।**

इसके अतिरिक्त रिक्शा योजना का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक कराने के निर्देश भी दिये गये ताकि शासनादेश के अनुरूप समस्त पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए लाभान्वित किया जा सके।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)</u>

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विगत दिनों अभिकरण मुख्यालय पर उक्त योजना के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार को संबंधित मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा इस तथ्य की ओर इंगित किया गया कि पूर्व में प्रश्नगत सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में अभिकरण एवं शासन स्तर से भारत सरकार से प्राप्त जनपदों से प्रेषित की गयी USHA की गाइडलाइन एवं अभिकरण मुख्यालय स्तर से स्लम सर्वे प्रोफाइल एवं हाउस होल्ड पावर्टी सर्वे प्रोफाइल तथा लाइवलीहुड सर्वे प्रोफाइल के मुद्रित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने के बावजूद अपट्रॉन द्वारा ऑनलाइन डेटाफिडिंग के अवलोकन पर जनपद स्तर से स्लम प्रोफाइल सम्बन्धी विवरण प्रदर्शित नहीं है।

  अपट्रॉन के प्रतिनिधि द्वारा स्लम प्रोफाइल प्रारूप की हार्ड कॉपी जनपदों से उपलब्ध न होना इंगित किया गया है। कतिपय जनपदों के द्वारा (फतेहपुर, इटावा, लखनऊ आदि) स्लम प्रोफाइल का प्रारूप भी प्रविष्ठ कराया जाना बताया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्गत निर्देशों एवं (USHA) की गाइडलाइन में पूर्वोक्त अन्य भरे गये प्रारूपों के साथ ही प्रत्येक दशा में स्लम प्रोफाइल प्रारूप को भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर सर्वे करा कर प्रविष्ट कराया जाना सुनिश्चित करें। समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। USHA सर्वे की गाइड लाइन सूडा की वेबसाईड पर उपलब्ध है।

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों से **उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है।** जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–सम्बन्धित डूडा)

<u>राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)</u>

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल)

संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2014 के अंतिम सप्ताह तक सूडा–उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में दिनांक 15.11.2014 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में दिये गये थे। अतः उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये।

शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जिन शहरों से **निःशुल्क भूमि के प्रस्ताव** नहीं प्राप्त हुए हैं, उन सभी शहरों के अधिशासी अधिकारियों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित करने तथा **उनकी बैठक सूडा मुख्यालय पर बुलाने के निर्देश दिये गये।**

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्रों के स्वीकृत 16 प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा **सभी स्वीकृत शहरों के सी0एल0सी0 केन्द्रों का उद्घाटन 1 जनवरी 2015 तक सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।** जिन शहरों से सी0एल0सी0 के प्रस्ताव अभी तक नहीं प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें 31 दिसम्बर 2014 तक प्रस्ताव अवश्य मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत पूर्व में जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। अतः योजनान्तर्गत आवेदनों को एन0यू0एल0एम0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप जनपदीय टास्कफोर्स के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् कराते हुये स्वीकृति कराने की कार्यवाही की जाय। जनपदों की प्रगति की समीक्षा करने पर प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित् करें।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जिन्होंने कौशल रिक्तता (Skill Gap) की सूचना अभी सूडा को उपलब्ध नहीं करायी, वे एक सप्ताह के अन्दर सूचना सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। यह सूचना nsdcindia.org की वेबसाईड पर भी जनपदवार उपलब्ध है। उक्त का संज्ञान लिया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में गौतमबुद्धनगर एवं झांसी जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि अवशेष धनराशि में देयता के सापेक्ष धनराशि व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में योजना के दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कार्य न प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूडा के संबंधित पटल द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। ऐसे जनपद जिनके प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके है और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, किन्तु कार्य किसी अन्य विभाग द्वारा करा दिया गया है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल धनराशि वापस करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपद –लखनऊ एवं वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि व्यय हो चुकी है उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके अतिरिक्त जनपद बलिया को वापस की गयी धनराशि का मिलान मुख्यालय स्तर से कराने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

एस0सी0एस0पी0

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि **एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।**

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत् किया जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।
- जनपद रामपुर हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।
- मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की मण्डलीय समीक्षा बैठक के कारण कानपुर मण्डल के सभी जनपदों के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे अतः उन्हे पुनः समीक्षा हेतु मुख्यालय बुलाने के निर्देश दिये गये।
- जनपदों से आये परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा डूडा में कार्यालय हेतु स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में निदेशक महोदय द्वारा मुख्यालय से विस्तृत विवरण मांग कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित् की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।
- समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को क्रियान्वित करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

31/7/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 3873 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 01/01/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
8. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
9. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
12. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

31/12/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

7/7